

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

क्रमांक :-एफ.2(7047)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/2911

जयपुर, दिनांक 31/5/18

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र.स.	मेरिट न.	नाम	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1	3555	श्री मनमोहन यादव	वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	• REET EXAM-2017
2	1483	श्री मुकेश माचीवाल	कृषि आयुक्तालय, जयपुर	• RSMSSB द्वारा आयोजित संगणक परीक्षा-2018 • श्री नरेन्द्र कर्ण कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा आयोजित प्रोग्राम सहायक (कम्प्यूटर) परीक्षा
3	238	श्री महेन्द्र कुमार सोनी	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जैसलमेर	• RSMSSB द्वारा आयोजित उद्योग प्रसार अधिकारी व उद्योग निरीक्षक परीक्षा-2018
4	2580	श्री मुबारिक हुसैन मणियार	कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड	• UGC NET- July 2018
5	1606	श्री महेन्द्र राजपुरोहित	राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय मण्डोर संलग्न चिकित्सालय समूह, डॉ. एस. एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	• UPSC, IAS Pre Exam-2018 • RPSC, RAS Pre Exam-2018
6	3030	श्री महेन्द्र कुमार दमामी	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, सिरोही	• RPSC द्वारा आयोजित Vice Principal/Superintendent I.T.I. or Group Instructor/Surveyor/ Assistant Apprenticeship Advisor Gr.II • RPSC द्वारा आयोजित प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय परीक्षा एवं वरिष्ठ अध्यापक हिन्दी, सामाजिक विज्ञान परीक्षा • RSMSSB द्वारा आयोजित उद्योग प्रसार अधिकारी, सुपरवाइजर महिला अधिकारिता विभाग
7	4144	श्री ललित कुमार	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, सिरोही	• RPSC द्वारा आयोजित Vice Principal/Superintendent I.T.I. or Group Instructor/Surveyor/ Assistant Apprenticeship Advisor Gr.II, RAS Exam 2018 & ACF And Forest Range Officer Gr-I 2018
8	2109	श्री मिनाक्षी शर्मा	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, जयपुर	• RPSC द्वारा आयोजित RAS/RTS Comb. Comp. Exam 2018 • RSMSSB द्वारा आयोजित सुपरवाइजर महिला अधिकारिता विभाग
9	831	श्री मनीष शर्मा	कार्मिक विभाग (कम्प्यूटर कक्ष), शासन सचिवालय, जयपुर	• RPSC द्वारा आयोजित RAS/RTS Comb. Comp. Exam 2018, ACF And Forest Range Officer Gr-I 2018 • RSMSSB द्वारा आयोजित उद्योग प्रसार अधिकारी व उद्योग निरीक्षक परीक्षा-2018

P

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

10	1847	श्रीमती मीनू शर्मा	आयोजना (कम्प्यूटर) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	• RPSC द्वारा आयोजित RAS/RTS Comb. Comp. Exam 2018, Vice Principal/Supintendent I.T.I Exam • RSMSSB द्वारा आयोजित Tax Assistant, Supervisor (WE) & Industry Extension Officer
----	------	--------------------	---	--

उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त सूचना सहायकों को राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(आशुतोष.एम.देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

क्रमांक एफ2(6579)सूप्रौ/संस्था/15/ ००२९५/२०१८

जयपुर, दिनांक : 31/5/18

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायको को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

क्र. स.	मेरिट न.	नाम	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1.	2006	श्रीमती बुलबुल, सूचना सहायक	कार्यालय निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।	1. RPSC द्वारा आयोजित उपाचार्य/अधीक्षक 2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परीक्षा 2018
2.	1992	श्री दीपक कुमावत, सूचना सहायक	कार्यालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जैतारण, पाली।	1. RRB Ajmer द्वारा आयोजित Railway Assistant Loco Pilot and Technicians CEN No 01/2018
3.	4288	सुश्री गीतांजली गोटवाल, सूचना सहायक	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर।	1. RPSC Research Assistant 2016 2. SSC CGL 2017
4.	3302	सुश्री दीपाली वैष्णव, सूचना सहायक	कार्यालय जिला औषधी भण्डार गृह, पाली।	1. Central Board of Secondary Education द्वारा आयोजित National Eligibility Test(NET)
5.	921	श्री भंवर लाल व्यास, सूचना सहायक	कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान), खान एवं भूविज्ञान विभाग, बीकानेर।	1. RSMSSB द्वारा आयोजित उद्योग प्रसार अधिकारी परीक्षा 2018 2. RPSC द्वारा आयोजित आरएएस परीक्षा 2018
6.	3379	सुश्री दुर्गा गेनोलिया, सूचना सहायक	कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन, अजमेर।	1. RSMSSB द्वारा आयोजित उद्योग प्रसार अधिकारी परीक्षा 2018 2. RPSC द्वारा आयोजित आरएएस परीक्षा 2018
7.	2253	श्री दीपक जांगिड़, सूचना सहायक	कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), सीकर।	1. RPSC द्वारा आयोजित आरएएस परीक्षा 2018
8.	1591	श्री दीपक कुमार अग्रवाल, सूचना सहायक	कार्यालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा।	1. RPSC द्वारा आयोजित RAS/RTS संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

12

Contd.---

7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


(आशुतोष.एम.देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष सम्बंधित विभाग।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. संबधित सूचना सहायक।
4. संबधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:— एफ.2(4648)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/14/00233/2018

जयपुर, दिनांक 01-05-2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री कुंज बिहारी मीणा, सूचना सहायक ने प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। श्री कुंज बिहारी मीणा, सूचना सहायक CBSE NET द्वारा आयोजित UGC NET Exam 2018 में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है:—

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


(आशुतोष एम.देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति. जिला कलक्टर, कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़।
2. श्री कुंज बिहारी मीणा, कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट।


प्रभारी अधिकारी(संस्थापन)

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:- एफ.2(2773)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/14 100232/2018 जयपुर, दिनांक 01-05-2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री किशोर कुमार टेलर, सूचना सहायक ने प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है।

Exam Conducting Organization	Department Name	Name of Exam
RSMSSB, JAIPUR	Women Empowerment	Supervisor(Women empowerment) Exam, 2018
RSMSSB, JAIPUR	Industry Department	Industries Extension officer Exam 2018, Industry Inspector, Salt Inspector
RPSC, AJMER	Secondary Education Department	School Lecturer (School Education)-2018, Sr. Teacher Gr II Comp. (Non TSP) Exam-2018
RPSC, AJMER	Sanskrit Education Department	School Lecturer 2018, Sr. Teacher Gr II (Non- TSP) 2018,
RPSC, AJMER	Forest Department	ACF and Forest Range Officer Gr-I 2018
RPSC, AJMER	Mines and Geology Dept.	Chemist-2015
RPSC, AJMER	DOP	RAS/RTS Comb. Comp. Exam 2018
RPSC, AJMER	Technical Education Department	Vice Principal/Superintendent ITI 2018

श्री किशोर कुमार टेलर, सूचना सहायक द्वारा उक्त निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन / स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(आशुतोष एम.देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उप निदेशक कृषि (विस्तार), कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, भीलवाड़ा।
2. श्री किशोर कुमार टेलर, कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, भीलवाड़ा।
3. निजी/रक्षित पुत्रावली।
- ✓ 4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट।

प्रभारी अधिकारी(संस्थापन)